न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 29/2019

1. पतराम पुत्र श्री जैसाराम पुत्र श्यामाराम जाति बावरी आयु 60 वर्ष निवासी चक 1 डी बडी, ओडकी, तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)
2. बिंझाराम पुत्र स्व0 पूर्णराम(फौत)

2/1. सुखो देवी पत्नी स्व0 बिझां राम पुत्र स्व0 पूर्णराम जाति बावरी आयु 50 वर्ष निवासी चक 1 डी बडी, ओडकी तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)

3. शंकर पुत्र स्व0 पूर्णराम पुत्र स्व0 जैसाराम जाति बावरी आयु 48 वर्ष निवासी चक 1 डी बडी, ओडकी, तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)
4. कमला पुत्री स्व० पूर्णराम (फौत)

4/1. साहब राम पुत्र स्व0 कमला पुत्री पूर्णराम जाति बावरी आयु 45 वर्ष निवासी ओडकी, तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)

4/2. पाला राम पुत्र स्व0 कमला पुत्री पूर्णराम जाति बावरी आयु 45 वर्ष निवासी ओडकी, तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)

4/3. लिछमा पुत्री स्व0 कमला पुत्री पूर्णराम जाति बावरी आयु 45 वर्ष निवासी ओडकी, तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कमलेश पत्नी स्व0 रामजी पुत्री भीआराम जाति बावरी निवासी वार्ड नम्बर 40, एलबीएस सीनियर सैकेण्डरी स्कुल के पीछे, सुरेशिया, हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. श्रवण पुत्र स्व0 रामजी जाति बावरी निवासी वार्ड नम्बर 40, एलबीएस सीनियर सैकेण्डरी स्कुल के पीछे, सुरेशिया, हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
3. संतोष पत्नी श्रवण पुत्र स्व0 रामजी जाति बावरी निवासी वार्ड नम्बर 40, एलबीएस सीनियर सैकेण्डरी स्कुल के पीछे, सुरेशिया, हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
4. फौजी पुत्र स्व0 रामजी जाति बावरी निवासी वार्ड नम्बर 40, एलबीएस सीनियर सैकेण्डरी स्कुल के पीछे, सुरेशिया, हनुमानगढ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
5. सुमन पत्नी रामनारायण पुत्री स्व0 रामजी जाति बावरी निवासी चक 19 एन. पी., तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज0)

— अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री रामनाथ भाटी — प्रार्थीगण
2. श्री कुलदीप सिंह रमाणा — अप्रार्थी सं. 1 ता 5

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 14/01/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी श्री रामनाथ भाटी द्वारा प्रार्थीग[illegible] से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है [illegible]ना पत्र प्रार्थीगण निम्न प्रकार से है —

यह कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में विवादित कृषि भूमि का [illegible]पत्र माननीय न्यायालय [illegible] बअनवान "पतराम वगैरा बनाम रामजी वगैरा" के नाम से अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए का प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण आशा है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी 2 सख्या 1 पतराम व प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता स्व० पूर्णराम व अप्रार्थी संख्या 1 का पति व अप्रार्थी सख्या 2 ता 5 का पिता स्व० रामजी तीनो सगे भाई थे, जो मृतक जैसाराम की संतान थे, शेष अप्रार्थीगण प्रार्थी सख्या 1 ता 5 के रिश्तेदार है।

यह कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थी संख्या 1 पतराम व प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता स्व० पूर्णराम व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता स्व0 रामजी के पूर्वज जैसाराम व सुखराम दोनो श्यामाराम की संतान थी तथा दोनो भाई संयुक्त रूप से निवास करते थे। सुखराम के कोई संतान नही थी इसलिए सुखराम अपने भाई जैसाराम की संतान प्रार्थीगण व स्व0 रामजी को ही अपनी संतान मानता था ।

यह कि सुखराम के नाम चक 2 एल.जी.डब्लयू., तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 59 के पत्थर नम्बर 49/279 मुरब्बा नम्बर 14 का किला नम्बर 16 ता 25/प्रत्येक 2 0.253 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 49/280 मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 1 ता 3 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर कुल 3.289 हैक्टेयर अर्थात् 13 बीघा कृषि भूमि व चक 3 एल.जी.डब्लयू.. तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 81 के पत्थर नम्बर 48/279, मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 6/2/0.190 हैक्टेयर, 15/0.253 हैक्टेयर कुल 0.317 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जो उन्हें आवंटित हुई थी।

यह कि सुखराम की मृत्यु दिनांक 23.11.1989 को हो जाने के बाद सुखराम के नाम प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में दर्ज कृषि भूमि उनकी पत्नि भूरा देवी के नाम से विरासतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई।

यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पूर्वज जैसाराम की मृत्यु अपने भाई सुखराम की मृत्यु से पूर्व हो चुकी थी इसलिए सुखराम व उसकी पत्नि भूरा देवी की अपनी कोई संतान नही होने के कारण अपने भाई जैसाराम की संतान प्रार्थीगण व स्व0 रामजी को ही अपने जीवनकाल से ही अपनी संतान मानते थे तथा अपनी संतान के अनुसार ही लाड प्यार से रखते थे। प्रार्थीगण व रामजी को मृतक सुखराम व उसकी पत्नि भूरा देवी ने ही लालन पालन कर बड़ा किया था।

यह कि प्रार्थीगण व रामजी भी मृतक सुखराम व भूरा देवी को अपने माता पिता मानते थे तथा उनकी प्रार्थीगण, रामजी द्वारा ही सेवा चाकरी की गई थी इसलिए मृतक सुखराम व भूरा देवी के जीवनकाल से ही प्रार्थीगण व रामजी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 ता 4 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता स्व० रामजी का 1/3 हिस्सा का घराघरू बंटवारा वर्ष 1995 में कर लिया था और उसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। मृतक सुखराम की पत्नि भूरा देवी की मृत्यु दिनांक 08.09. 1995 को हो गई थीं तथा उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उनका अन्तिम संस्कार हिन्दू रीति रिवाज अनुसार प्रार्थीगण व स्व० रामजी द्वारा किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

यह कि मृतक सुखराम व उनकी पत्नि भूरा देवी की [illegible]ने के बाद प्रार्थीगण व रामजी ने मिलकर उनके नाम प्रार्थना पत्र [illegible] कृषि भूमि को वर्ष 1995 में आपसी घराघरू बंटवारा कर प्रार्थी संख्या 1 का 1/3 [illegible] अर्थात कुल 5 बीघा, श्प्रार्थी संख्य 2 ता 4 का 1/3 हिस्सा अर्थात कुल 5 बीघा व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पति व पिता का 1/3 हिस्सा अर्थात 5 बीघा कृषि भूमि

का बंटवारा कर लिया था तथा उसी अनुसार लगातार आज तक बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त करते चले आ रहे है इसलिए उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का अपनी भूमि पर प्रतिकूल धारणा का अधिकार परिपक्व हो चुका है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

उक्त कृषि भूमि का समस्त राजस्व लगान, नहरी मालखाना, मामला आदि प्रार्थीगण व रामजी ही जमा करवाते आ रहे है। वर्तमान समय में भी उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 के पास 5 बीघा, प्रार्थी संख्या 2 ता 5 के पास 5 बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम 5 बीघा पूर्व में किये गये बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त में है तथा उपरोक्त कृषि भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व में दावा भी प्रस्तुत कर रखा है।

यह कि अप्रार्थीगण द्वारा स्व0 रामजी की मृत्यु के बाद उपरोक्त कृषि भूमि को लेकर बदयांति आ गई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की जमीन में अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से एक फर्जी एंव कूटरचित दस्तावेज वसीयतनामा तैयार कर रखा है, जिसको शून्य घोषित करवाने हेतु प्रार्थीगण ने किया हुआ है । माननीय सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा में दीवानी दावा प्रस्तुत 11. यह कि दिनांक 23.04.2019 को प्रार्थीगण द्वारा अपने हक व हिस्सा की कुल 10– बीघा कृषि भूमि में आगामी फसल के लिए जोतने की तैयारी कर रहे थे, तभी अप्रार्थीगण एकराय होकर कृषि उपकरणो सहित एक ट्रेक्टर को अपने साथ लेकर आये तथा आते ही प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करने लगे तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि यह जमीन हमारी है, हम इस जमीन पर कब्जा करके रहेगे तथा इस जमीन की जुताई हम करेगे। तब प्रार्थीगण ने मना किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी दी तथा कहा कि हम जल्दी ही इस जमीन पर कब्जा करेगे, तुम हमारा कुछ नही बिगाड सकते। इस वजह से प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि में प्रार्थीगण द्वारा की जा रही जुताई में नाजायज रूप से 94213 दखलअन्दाजी करने की कोशिश की गई तथा भविष्य में अवैध रूप से कब्जा करने की धमकी देकर वापिस चले गये, तब से प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य को लेकर हैरान व परेशान है, इसलिए प्रार्थीगण को युक्तियुक्त आशंका हो गई है कि अप्रार्थीगण भविष्य में कभी भी प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की कुल 10 बीघा कृषि भूमि में नाजायज रूप से दखलअन्दाजी कर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर सकते है इसलिए प्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में दर्ज कृषि भूमि चक 2 एलजीडब्लयू व 3 एलेजीडब्लयू में स्व० भूरा देवी के नाम दर्ज कृषि भूमि में से कुल 10 बीघा भूमि में किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने से बाज़ व ममनू रहे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी इस आशय का जारी करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में दर्ज कृषि भूमि चक 2 एलजीडब्लयू व 3 एलजीडब्लयू में स्व० भूरा देवी के नाम दर्ज कृषि भूमि में से कुल 10 बीघा भूमि में किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने से बाज व ममनू रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद [illegible] गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 त[illegible] की [illegible] से श्री कुलदपी सिंह रमाणा अधिवक्ता हाजिर आये वकालतनामा व [illegible] किया गया शामिल पत्रावली है।।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान जी प्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अ[illegible] स. 1 ता 5 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है–

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 1 मे वर्णित कथन प्रार्थीगण की ओर से अक्त अनवान का वाद श्रीमान न्यायालय पेश होने की हद तक स्वीकार है शेष कथन असत्य होने से अस्वीकार

सहायक कलेक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुल वाद भूरादेवी की कृषि भूमि मे अपना विरास्तन हक होने के आधार पर अपने को खातेदार घोषित करने हेतू प्रस्तुत किया गया है जबकि भूरादेवी निंवसीयती फोत नही होकर भूरादेवी ने अपने जीवन काल मे रोबरू गवाहान मुझ अप्रार्थीया के पक्ष मे दिनांक 25.08.1995 को अपनी भूमि की वसीयत निष्पादित की हुई है। वसीयत के प्रभावी रहते प्रार्थीगण किसी भी रूप मे विरास्तन भूमि प्राप्त करने के हकदार नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 2 मे वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 3 मे वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 4 मे वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। कि जैसाराम व सुखराम का भाई होना स्वीकार है परन्तु प्रार्थीगण का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि जैसाराम व सुखराम एक साथ निवास करते हो । सुखराम पुत्र श्यामाराम लोगवाला का स्थाई निवासी था जबकि जैसाराम पुत्र श्यामाराम गावं ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का निवासी था। सुखराम की मृत्यु गांव लोगवाला मे हुई तथा जैसाराम की मृत्यु गांव ओडकी मे हुई। प्रार्थीगण का यह कथन भी पूर्ण रूप से असत्य है कि सुखराम प्रार्थीगण को कभी अपनी सन्तान मानता हो । 5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 मे वर्णित कथन कि चक 2 एल जी डब्लयु मे 13 बीघा भूमि तथा चक 3 एल जी डब्ल्यु मे 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि सुखराम को आवंटित होना सत्य होने से स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 6 मे वर्णित कथन कि सुखराम की मृत्यु दिनांक 23. 11. 1989 को हुई होना तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी कृषि भूमि उसकी पत्नी भूरादेवी के नाम दर्ज होने के कथन सत्य होने से स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 7 मे वर्णित कथन जिस प्रकार से वर्णित किये है असत्य होने प्रार्थीगण का मृतक सुखराम व उसकी पत्नी भूरादेवी द्वारा लालन–पालन करने के कथन भी पूर्ण रूप से असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का लालन–पालन उनके माता–पिता द्वारा किया गया से अस्वीकार है। सुखराम व उसकी पत्नी भूरादेवी के साथ प्रार्थीगण ने कभी निवास नही किया जिनकी गांव ओडकी मे 25 बीघा कृषि भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 8 मे वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है कि प्रार्थीगण का मृतक सुखराम व भूरादेवी के प्रति कभी भी माता–पिता जैसा व्यवहार नही रहा तथा न ही प्रार्थीगण द्वारा उनकी सेवा–चाकरी की गई। प्रार्थीगण का यह कथन भी पूर्ण रूप से असत्य है कि मृतक सुखराम व भूरादेवी के प्रति कभी भी माता–पिता जैसा व्यवहार नही रहा तथा न ही प्रार्थीगण द्वारा उनकी सेवा–चाकरी की गई। प्रार्थीगण का यह कथन भी पूर्ण रूप से असत्य है कि मृतक सुखराम व भूरादेवी के जीवनकाल से ही प्रश्नगत कृषि भूमि को प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे हो। सुखराम के जीवनकाल मे सुखराम स्वय अपनी भूमि काश्त करता था तथा अपनी वृद्धा अवस्था मे अपनी भूमि ठेका हिस्सा पर काश्त करवाने लगा था। सुखराम की मृत्यु के पश्चात प्रश्नगत भूमि उसकी पत्नी भूरादेवी ठेके हिस्से पर काश्त करवाने लगी। भूरादेवी की मृत्यु के पश्चात प्रश्नगत भूमि मुझ अप्रार्थीया के अधिपत्य मे चली आ रही है जिसको मुझ अप्रार्थीया महिला होने के कारण ठेके हिस्से पर देकर काश्त करवाती चली आ रही है। प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि से कभी भी अधिपत्य नही रहा । प्रश्नगत भूमि सुखराम की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी भूरादेवी को विरास्त मे प्राप्त हुई। भूरादेवी प्रश्नगत भूमि की एकल पूर्ण स्वामिनी थी जिसके द्वारा दिनांक 25.08.1995 को अपनी भूमि की वसीयत मुझ अप्रार्थीया जो कि मृतक भूरादेवी पत्नी सुखराम की भतीजी है के पक्ष मे रोबरू गवाहान अपनी स्वेच्छा से निष्पादित की हुई है जिस पर भूरादेवी की मृत्यु के पश्चात से मुझ अप्रार्थीया का अधिपत्य चला आ रहा है। प्रार्थीगण किसी भी रूप मे मृतक भूरादेवी के विधिक वारिसान नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 9 मे वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण व रामजी का प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 मे वर्णित भूमि पर सुखराम व उसकी पत्नी भूरादेवी की मृत्यु के पश्चात सयुक्त अथवा पृथक रूप से कभी किसी रूप मे कब्जा नही रहा है तथा न ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व रामजी का किसी रूप मे वर्तमान मे अधिपत्य है। प्रार्थीगण व रामजी का प्रश्नगत भूमि पर कभी किसी रूप मे अधिपत्य नही रहा होने से प्रार्थीगण व रामजी का प्रश्नगत भूमि पर प्रतिकूल धारण का अधिकार परिपक्व होने का प्रश्न ही पैदा नही होता। प्रार्थीगण व रामजी जो कि चक 1 डी बडी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के स्थाई निवासी है जिनका कभी भी गांव लोगवाला मे किसी रूप मे निवास नही रहा है। प्रार्थीगण द्वारा आपस मे मिलीभक्त होकर सहायक श्कलैक्टर पीलीबंगा के समक्ष एक राजस्व वाद अनवान पतराम आदि बनाम रामजी वगैरा प्रस्तुत किया गया जिसकी जानकारी अप्रार्थीया सं. 1 को होने पर अप्रार्थीया उक्त अनवान के राजस्व वाद मे पक्षकार संयोजित होने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया गया दोराने दावा रामजी की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थीया को रामजी की विधिक वारिसान होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण का पूर्ण रूप से असत्य है कि उक्त कृषि भूमि का समस्त राजस्व लगान नहरी मालखाना तथा मामला आदि प्रार्थीगण व रामजी जमा करवाते चले आ रहे हो तथा प्रश्नगत भूमि पर किसी भी रूप मे प्रार्थीगण व रामजी का सयुक्त रूप मे कब्जा काश्त हो। उक्त वर्णित भूमि पर भूरादेवी की मृत्यु के पश्चात से मुझ अप्रार्थीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 10 मे जिस प्रकार कथन वर्णित किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि अप्रार्थीगण द्वारा रामजी की मृत्यु के पश्चात प्रश्नगत भूमि पर किसी भी रूप मे कब्जा करने की नियत से एक फर्जी व कुटरचित वसीयत तैयार करवाई हो बल्कि भूरादेवी पत्नी सुखराम द्वारा अपने जीवनकाल मे दिनांक 25. 08.1995 अपनी प्रश्नगत भूमि की वसीयत मुझ अप्रार्थीया के पक्ष मे रोबरू गवाहान अपनी स्वैच्छा से निष्पादित की गई होने से प्रार्थीगण व रामजी उक्त वसीयत के प्रभावी रहते भूरादेवी की प्रश्नगत भूमि को विरास्त मे प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा न ही प्रार्थीगण व रामजी किसी भी रूप मे अपने को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण स. 11 मे वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर दिनांक 23.04.2019 को अथवा उससे पूर्व व वर्तमान मे किन्ही 10 बीघा भूमि मे कब्जा नही है। हम प्रार्थीगण दिनांक 23.04. 2019 को अथवा उससे पूर्व कभी भी प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त करने व लडाई झगडा करने नही आये बल्कि स्वय प्रार्थीगण ही मुझ अप्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि मे दखलदाजी करते रहते है तथा उस पर जबरन कब्जा करना चाहते है। जिसके लिये प्रार्थीगण व उसके परिवार के सदस्यो ने भूमि पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया। अप्रार्थीया व उसके परिवार द्वारा विरोध करने पर प्रार्थीगण व अन्य मुझ अप्रार्थीया व मुझ अप्रार्थीया के परिवार के अन्य सदस्यो के साथ मारपीट की तथा गहने व रूपये आदि छीनकर ले गये एवं अप्रार्थीया व अप्रार्थीया की पुत्रवधू की बैइज्जती की जिसके सम्बन्ध मे अप्रार्थीया ने पुलिस थाना गोलूवाला मे प्रार्थीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज [illegible] है। प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर किसी भी रूप मे कब्जा नही [illegible] भूमि के किसी भी मे स्वामी नही होने के कारण प्रार्थीगण श्रीमान न्यायालय से [illegible] आदेश प्राप्त करके अप्रार्थीया के कब्जा मे दखलदाजी करना चाहते है। कि प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू नही होने से प्रार्थी[illegible] मुझ अप्रार्थीया के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महत हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के दुर्भावनापूर्वक आशय से किया गया होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

—::आदेश::—

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण 5 वर्ष से लम्बित है हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित अराजी जरिये वसीयत दिनांक 25.08.1995 द्वारा अप्रार्थीया संख्या 1 को दिया गया है। अप्रार्थी उक्त रकबा पर काबिज काश्त है प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होते है। राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 14/01/2025 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.01.22 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested